

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प.10(1)चिस्वा / 2 / 2019 / ए-383

जयपुर, दिनांक: 27.8.19

आदेश

डॉ० अजय सिहाग, चिकित्सा अधिकारी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर का चयन सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा आयोजित सीनियर रेजिडेंट (पी०एम०आर०) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप डॉ० सिहाग को उक्त पद हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति भविष्य में नियमों की पालना करने की शर्त पर एवं निम्न शर्तों के अधीन नियमानुसार कार्यमुक्त किया जाता है:-

- 1- चिकित्सक को नियमानुसार वेतन भत्ते मूल पदस्थापन स्थान से ही देय होंगे।
- 2- सीनियर रेजीडेंटशिप की अवधि अधिकतम एक वर्ष की रहेगी।
- 3- चिकित्सक द्वारा एक वर्ष से पूर्व ही सीनियर रेजीडेंटशिप बीच में छोड़ देने पर पुनः सीनियर रेजीडेंटशिप हेतु पात्र नहीं माना जावेगा।

आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
- 2- प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 3- अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
- 4- डॉ० अजय सिहाग, चिकित्सा अधिकारी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में देकर इस विभाग को सूचित करें।
- 5- कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव